

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 17/2021

1. जगदेवाराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर "मृतक"
 - 1/1. तीजा देवी पत्नी जगदेवाराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर
 - 1/2. महेन्द्र सिंह पुत्र जगदेवाराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर
 - 1/3. सुमित्रा पुत्री जगदेवाराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर
- आवेदकगण

बनाम

1. दयानन्द पुत्र मुंगाराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर
 2. देवकरण पुत्र मुंगाराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर
 3. महावीर पुत्र मुंगाराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर
 4. रघुवीर पुत्र मुंगाराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर
 5. रतीराम पुत्र मुंगाराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर
 6. लालचन्द पुत्र मुंगाराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर
 7. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धनूरी तहसील मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक
 8. झुझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा झुझुनू
 9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर
- अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 02.03.2022

संक्षेप में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम पीपल का बास पटवार हल्का सोनासर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 369 रकबा 1.35 है0, खसरा नम्बर 36 रकबा 2.25 है0 व खसरा नम्बर 356 रकबा 0.56 है0 आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शित A से B रास्ता जो ग्राम पीपल का बास से मेधवाल्लों की ढाणी जाने वाले डोटेड लाईन के रास्ते से ख0न0 370 में से होकर है, में से आता जाता रहा है। ख0न0 370 रकबा 2.10 है0 अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। खसरा नम्बर 370 में खातेदार रघुवीर पुत्र मुंगाराम ने ने बिन्दू A से B रास्ते को बंद कर दिया है। इसके अतिरिक्त आवेदक के खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ते की आतन्तिक आवश्यकता है। अन्त में प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 369 में आने-जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 370 में नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक 15 फीट रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उत्तर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही



तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 4 के अतिरिक्त अन्य अनावेदकगण 1 लगायत 3, 5 व 6 ने उपस्थित होकर अपना इकबाली जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया अर्थात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 370 में से प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3, 5 व 6 को कोई आपत्ति नहीं है। अनावेदक संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी आपत्ति जाहीर की तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 370 में मौके पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा तथा खसरा नम्बर 362 ख0न0 369 के पश्चिम में स्थित है जो आवेदक का सगा भाई विद्याधर की खातेदारी में है। ख0न0 362 के पश्चिमी दिशा से सटकर ग्राम पीपल का बास से ग्राम अम्बेडकर नगर जाने वाली पुख्ता सड़क है। ख0न0 369 में आने जाने के लिए ख0न0 362 से रास्ता रहा है। अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता अनावेदक संख्या 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रस्तुत प्रकरण 251ए के अन्तर्गत न होकर धारा 251 के तहत होने से सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए खारीज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि धारा 251ए के तहत दर्ज प्रार्थना पत्र एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी रास्ते के लिये डीएलसी दर से भुगतान करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार कर आवेदक को खेत खसरा नम्बर 369 में आने-जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 370 में नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक 15 फीट रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 04.01.2022 को अवलोकन किया गया तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 370 में डोटेड लाईन से रास्ता दर्ज है ख0न0 370 के दक्षिणी सीमा के सहारे 369 की सीमा तक नक्शे में 46 मीटर दूरी है। जो निकटतम रास्ता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" - और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि -

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या



५

ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है साथ ही न्यूनतम मार्ग दिये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में आवेदक द्वारा चाहा गया मार्ग 46 मीटर लम्बा होना बताया है। जो सलंगन नजरी नक्शे के अनुसार लघुतम प्रतीत होता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 369में आने-जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 370 की दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(साधुराम जाट) 02/3/22
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर